HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 4454/2026
URN: CW / 9881U / 2026

Khurshid Son Of Shri Subhan Kha, Aged About 61 Years, Resident Of Village Dhakpuri, Tehsil Tijara, District Khairthal (Raj.)

----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Principal Secretary And Food Commissioner, Food And Civil Supplies And Consumer Affairs Department, Rajasthan, Jaipur.
2. Additional Food Commissioner, Food And Civil Supplies Department, Rajasthan, Jaipur.
3. District Collector, Khairthal-Tijara (Rajasthan)
4. District Supply Officer, Khairthal-Tijara (Rajasthan)
5. Vakil Kha Son Of Sahab Kha, Resident Of Village Kultajpura, Fair Price Shopkeeper 1/2 Part, Gram Panchayat Roopwas, Tehsil Tijara, District Khairthal - Tijara (Raj.)

----Respondents

For Petitioner(s) : Mr. Shashi Bhushan Gupta
For Respondent(s) :

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

01/07/2026

याचिकाकार की ओर से यह याचिका जिला कलेक्टर खैरथल तिजारा के अपीलीय आदेश दिनांक 26.12.2024 एवं उसके विरूद्ध की गई निगरानी में अतिरिक्त खाद्य आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2025 को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है।

याचिका पर सुना गया।

याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अयाची संख्या–5 वकील खाँ के पास राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अंतर्गत प्राधिकार पत्र था। उसके द्वारा रसद सामग्री के वितरण में अनियमितताएं की गईं थीं, जिसकी शिकायत याचिकाकार द्वारा की गई। याचिकाकार की शिकायत पर सम्बन्धित अधिकारी ने जांच की और जांच करने के उपरांत उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित करते हुए अयाची संख्या–5 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके उपरांत जिला रसद अधिकारी ने उसका प्राधिकार पत्र निरस्त करने सम्बन्धी आदेश दिनांक 09.09.2024 को पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध अयाची संख्या–5 वकील खाँ ने जिला कलेक्टर खैरथल–तिजारा के समक्ष अपील संख्या 12/49/2049 प्रस्तुत की गई। जिला कलेक्टर ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा दिनांक 09.09.2024 का जिला रसद अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अयाची संख्या–5 का प्राधिकार पत्र संख्या 1018/18 बहाल कर दिया एवं साथ ही मामले को जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि वे प्रकरण में पेश किए गए दस्तावेजों की रोशनी में अधिकतम दो माह में सत्यता की जांच कर पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित करें। उनका यह भी तर्क है कि उक्त आदेश को याचिकाकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर अतिरिक्त खाद्य आयुक्त के समक्ष चुनौती दी, परंतु अतिरिक्त खाद्य आयुक्त ने उसकी निगरानी निरस्त कर दी।

विद्वान अधिवक्ता याचिकाकार ने इस न्यायालय के समक्ष इस याचिका पर बहस करते हुए आज यही अनुतोष चाहा है कि जिला कलेक्टर ने मामले को प्रतिप्रेषित कर दो माह में निर्णीत करने के निर्देश दिए थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय (जिला रसद अधिकारी) द्वारा आज तक कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं की गई है और आदेश की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी को निर्धारित अवधि में उक्त आदेश की पालना करने के लिए निर्देश देते हुए याचिका निस्तारित कर दी जावे।

तर्को पर विचार किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

बहस के दौरान याचिकाकार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई सीमित प्रार्थना तथा जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 26.12.2024 को देखते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 26.12.2024 की पालना में अधीनस्थ

न्यायालय (जिला रसद अधिकारी खैरथल तिजारा) इस आदेश की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर आदेश पारित करे।

इसी निर्देश के साथ याचिका निस्तारित की जाती है। स्थगन एवं अन्य विविध प्रार्थना–पत्र यदि लम्बित हों तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किए जाते हैं।

(SHUBHA MEHTA),J

6/AJAY KUMAR SINGHAL/712